तारीख हुक्म 177/2021	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2023	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 केम्प के तहत केम्प कोर्ट **बरण** पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थी** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थी** द्वारा ग्राम **रायसिंहपुरा** जमाबंदी संवत् **2073 से 2076** तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी/सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थी** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। **आराजी नम्बर 1244, 1245, 1551, 1552, 1553, 1554 कुल किता 6 रकबा 1.3658 है0 दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी निरमा विश्नोई आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 177/2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– सुरजमल पिता नाथु गाडरी निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1– लक्ष्मण सिह पिता शंकर सिह राजपुत निवासी रायसिंहपुरा बनेड़ा
2– मोहन पिता नगजीराम लुहार निवासी मोडा बा का खेड़ा तहसील माण्डल
3– रामलाल गुजर निवासी मोडा बा का खेड़ा तहसील माण्डल
4– तहसीलदार बनेड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थीः–के.के. जीनगर

निर्णय

दिनांक :– 15/05/2023

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम **रायसिंहपुरा** तहसील **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में स्थित आराजी नम्बर **1244, 1245, 1551, 1552, 1553, 1554** कुल **किता 6** रकबा **1.3658 है0** के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। **जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा** में स्थित **आराजी नम्बर** 1244, 1245, 1551, 1552, 1553, 1554 **कुल किता 6 रकबा** 1.3658 **है0** भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। **प्रार्थी** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 [illegible] लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत **आंकिश स्वीकार** किया जाकर मौजा [illegible] उपरोक्त की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 1244, 1245,** 1551, 1552, 1553, 1554 कुल किता 6 रकबा 1.3658 है0 होने **से उक्त आराजियात की** भूमि सीमा जानकारी के [illegible] पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया

जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू०अभिलेख निरीक्षक बनेड़ा को 600/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को लिखित नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त की जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढ़ी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढ़ी कार्य नही किया जावे। अतः तहसीलदार बनेड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक **15/05/2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय **बरण** पर सुनाया गया।

(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:46 IST
Reason: SelfAttested